

प्रेस नोट- दिनांक- 03.10.2024, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी,

एएसपी(पश्चिमी) एवं क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना बाघराय पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों गिरफ्तार

थाना बाघराय पुलिस द्वारा चोरी की घटना से संबंधित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया से 01 अदद चोरी की बकरी व 01 अदद मोटर साइकिल के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी व बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवीएक्ट में किया गया सीज

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 02.10.2024 को आरोपीगणों द्वारा वादी के घर के पास से वादी की बकरी चोरी करने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में मु०अ०सं० 325/2024 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम 01 नामजद व्यक्ति व 02 अज्ञात व्यक्ति, 01 मोटर साइकिल का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार थाना बाघराय के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ०नि० गौरव प्रताप सिंह मय हमराह व०उ०नि० जिलेदार पाल, का० रविन्द्र यादव, का० रणजीत कुमार, का० ओमप्रकाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय के मु०अ०सं० 325/2024 धारा 303 (2) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों 1- हरिश्चंद्र सरोज पुत्र जगेश्वर सरोज निवासी ग्राम निवासी चौखड़ी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़, 2- सुनील सरोज पुत्र प्रेम कुमार सरोज निवासी ग्राम निवासी चौखड़ी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़, 3- इबरान अली शेख पुत्र शमशेर अली शेख निवासी ग्राम सुदीन का पुरवा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद चोरी की बकरी, 01 अदद मोटर साइकिल के साथ थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

उक्त चोरी की बकरी की बरामदगी के संबंध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी व बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- हरिश्चंद्र सरोज पुत्र जगेश्वर सरोज निवासी ग्राम निवासी चौखड़ी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।
- 2- सुनील सरोज पुत्र प्रेम कुमार सरोज निवासी ग्राम निवासी चौखड़ी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।
- 3- इब्रान अली शेख पुत्र शमशेर अली शेख निवासी ग्राम सुदीन का पुरवा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

- 1- 01 अदद चोरी की बकरी बरामद ।
- 2- 01 अदद मोटर साइकिल बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० गौरव प्रताप सिंह मय हमराह व०उ०नि० जिलेदार पाल, का० रविन्द्र यादव, का० रणजीत कुमार, का० ओमप्रकाश यादव थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० अमित कुमार सिंह मय हमराह का० मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी, दबिश के दौरान अ०सं०- 402/96 धारा 325, 323, 504, 506 भादवि० थाना रानीगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त राधेश्याम पाण्डेय पुत्र सरजू पाण्डेय निवासी ग्राम खमपुर दूबेपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

- 01- राधेश्याम पाण्डेय पुत्र सरजू पाण्डेय निवासी ग्राम खमपुर दूबेपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० अमित कुमार सिंह मय हमराह का० मनोज कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी,

एएसपी(पूर्वी) एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना अन्तू पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी(फर्जीवाडे) करने के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना अन्तू पुलिस टीम ने थाना क्षेत्रान्तर्गत पारहमीदपुर रेवले फाटक सब्जी मण्डी के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत आरोपी द्वारा बी०एस०एफ० विभाग में फर्जी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने के प्रकरण में वादी हौसिला प्रसाद यादव की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 360/17 धारा 419,420,467,468,471भादवि बनाम 01 व्यक्ति नामजद के विरुद्ध का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी निरीक्षक आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में दिनांक 03.10.2024 को थाना अन्तू के निरीक्षक विनोद कुमार यादव मय हमराह का० बौद्ध प्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 360/17 धारा 419,420,467,468,471भादवि से संबंधित अभियुक्त 01. रामआसरे यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी ग्राम पाराहमीदपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अन्तू के पारहमीदपुर रेवले फाटक सब्जी मण्डी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- रामआसरे यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी ग्राम पाराहमीदपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-निरीक्षक विनोद कुमार यादव मय हमराह का० बौद्ध प्रकाश थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर के उ०नि० अमित कुमार मिश्र मय हमराह का० योगेश यादव, का० हिमाँशू पौनिया द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी, दबिश के दौरान, एसटी नं०- 510/15 अ०सं०- 910/12 धारा 147,148,149,307,323,325,504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 01- सेबू उर्फ मो० शमशाद पुत्र आजाद अहमद अली निवासी ईटगाह रोड भूलियापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को ईटगाह के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण- 01- सेबू उर्फ मो० शमशाद पुत्र आजाद अहमद अली निवासी ईटगाह रोड भूलियापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ०नि० अमित कुमार मिश्र मय हमराह का० योगेश यादव, का० हिमाँशू पौनिया थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० रोहित कुमार मय हमराह हे०का० अमरनाथ यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी, दबिश के दौरान अ०सं०- 50/2017 धारा 147 बीएनएसएस थाना रानीगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 01- राजकुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र रामबच्चन सिंह उर्फ रामबचन निवासी ग्राम कसेरूआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण- राजकुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र रामबच्चन सिंह उर्फ रामबचन निवासी ग्राम कसेरूआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ०नि० रोहित कुमार मय हमराह हे०का० अमरनाथ यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।